PROSPECTUS
विवरणिका

2021-22

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

सम्बद्ध– सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

स्थापना : 22 अक्टूबर, 1974

E-mail : gpgcbageshwar@yahoo.co.in

Admission Link: https://admission.gpgcbageshwar.org/

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

प्रिय छात्र/छात्राओं,

नये शैक्षणिक सत्र 2021–2022 में आपका समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत ।

शैलराज हिमालय की गोद में सरयू एवं गोमती के पावन संगम पर अवस्थित कुमाऊँ की काशी के नाम से विख्यात पौराणिक एवं ऐतिहासिक भगवान व्याघ्रेश्वर की तपोभूमि बागेश्वर अलौकिक सुरम्य एवं सुप्रसिद्ध तीर्थ के रूप में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केन्द्र रहा है।

पावन सलिला सरयू के तट पर अवस्थित कुमाऊँ केसरी पंडित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर की स्थापना 22 अक्टूबर 1974 में हुई। 7 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत यह महाविद्यालय शान्ति एवं सौन्दर्य से परिपूर्ण स्थली होने से उच्च शिक्षा हेतु उत्कृष्ट परिवेश उत्पन्न करता है।

सुदूर क्षेत्रों से आये हुये छात्र–छात्राओं के अध्ययन के साथ–साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय कृत संकल्प है। सत्र 2021–2022 हेतु प्रकाशित की जा रही विवरणिका में महाविद्यालय के समस्त संकायों में पढ़ाये जा रहे विषयों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

महाविद्यालय निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है तथा जनवरी 2021 में महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का परिसर घोषित किया गया है, जिससे भविष्य में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में यह परिसर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा ऐसी मेरी अभिलाषा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 'बी' श्रेणी से अलंकृत यह महाविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकासमान है।

मेरी हार्दिक शुभकामना है कि यह महाविद्यालय अध्ययन, अध्यापन, शोधकार्य एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों आदि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभायेगा।

छात्र–छात्राऐं नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें ताकि वे अध्ययन तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में सराहनीय प्रदर्शन कर सकें।

मैं विवरणिका 2021–2022 के प्रकाशन हेतु सम्पादन समिति को साधुवाद व बधाई देती हूँ।

Dr. Anju Agarwal
(Principal)

शुभमस्तु।

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बागेश्वर

विवरणिका

PROSPECTUS

2021-22

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर

सम्बद्ध– सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

स्थापना : 22 अक्टूबर, 1974

E-mail : gpgcbageshwar@yahoo.co.in

Admission Link: https://admission.gpgcbageshwar.org/

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे

कुमाऊँ के राष्ट्रवादी आन्दोलन के अप्रतिम महान जननायक पं0 बद्रीदत्त पाण्डे ने प्रखर आन्दोलनकारी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, क्रान्तिकारी, समाज सुधारक, आक्रामक व राष्ट्रवादी पत्रकार, निर्भीक सम्पादक, सफल इतिहासकार, प्रभावकारी व स्पष्ट वक्ता व महान संसदीय राजनीतिक के रूप में अपने ओजस्वी व्यक्तित्व व असाधारण सामाजिक–राजनीतिक सक्रियता से कुमाऊँ की आधी सदी ;1913–1965 के सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य को नेतृत्व एवं दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रत्येक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका में रहे पंडित बद्रीदत्त पाण्डे के बिना कुमाऊँ के यशस्वी राष्ट्रवादी संग्राम की कल्पना भी अपूर्ण है।

'कुली बेगार' आन्दोलन के इस नायक को

शत्–शत् नमन।

कुमाऊँ केसरी पण्डित बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर : एक परिचय

पावन–पयस्विनी एवं जनमानस को अपनी अविरल धाराओं से आहलादित कर देने वाली सरयू नदी के पावन तट पर राजकीय महाविद्यालय की अवस्थापना तत्कालीन स्थानीय विधानसभा सदस्य **श्रीमती सरस्वती टम्टा जी** के अथक प्रयासों से 22 अक्टूबर सन् 1974 में हुई थी। पाँच साल पश्चात इसका स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में उन्नयन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री बद्रीदत्त पाण्डे ने ब्रिटिश शासन के दौरान गुलामी की प्रतीक बनी 'कुली–बेगार' प्रथा के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष कर इस प्रथा का अन्त किया। इस साहसिक कार्य हेतु उन्हें **"कुमाऊँ केसरी"** की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुमाऊँ में 'कुली–बेगार' आन्दोलन के प्रणेता पं0 बद्रीदत्त पाण्डे के नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा गया। इस महाविद्यालय की स्थापना में स्थानीय जनता का अथक प्रयास सर्वथा सराहनीय है। भगवान ब्याघ्रेश्वर के ऐतिहासिक मंदिर स्थल की यह पावन वसुमति कत्यूरी, चंद, गोरखा, अंग्रेज आदि स्वदेशी व विदेशी शासकों की कर्मभूमि रही है। इसका इतिहास गौरवपूर्ण एवं व्यापक रहा है।

सरयू तट पर स्थित 7 हेक्टेयर भूमि पर फैला यह महाविद्यालय आज छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग दर्शक तथा पथ प्रदर्शक बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ लगभग 2500 संस्थागत छात्र/छात्राएं अध्यनरत हैं। वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य व विज्ञान तीन संकाय हैं। कला संकाय में राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी , समाजशास्त्र एव गृह विज्ञान विषय है एवं गृह विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों में स्नात्तकोत्तर संचालित है। विज्ञान–संकाय में रसायन , जन्तुविज्ञान , वनस्पति विज्ञान , भौतिकी व गणित हैं तथा सभी विषयों में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर भी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कम्प्यूटर शिक्षा, योगा, कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति आदि भी संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल तथा समाजशात्र विषयों में शोधार्थी पी0 एच0 डी0 हेतु पंजीकृत है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर को जनवरी 2021 में सोबन सिंह जीना विश्विद्यालय अल्मोड़ा का परिसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

आधार भूत संरचना की दृष्टि से 7 हेक्टेयर में फैले महाविद्यालय परिसर में अनेक अकादमिक क्रिया–कलाप तथा स्वस्थ चलनों के माध्यम से छात्र विकास तथा सहायता सुनिश्चित की जाती है जो निम्नवत है–

1. **अध्यापन एवं शोध–** यह महाविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक तकनीकों तथा नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं पर बल दिया गया है। महाविद्यालय में अनेक शोधार्थी विभिन्न प्राध्यापकों के निर्देशन में

शोधरत है। अनेक प्राध्यापकों के विषयगत शोध पत्र विभिन्न विषयों में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुये हैं। इसके अतिरिक्त, फैकल्टी सदस्यों द्वारा सेमिनार, सिम्पोजियम तथा कार्यशाला के साथ–साथ अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों में प्रतिभाग, अध्यापन एवं शोध के बुनियादी आधार को सुदृढ़ करता है। साथ ही समय–समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, कवि सम्मेलन तथा आमन्त्रित विषय–विशेषज्ञों के व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है।

2. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल–** इसमें छात्रों के कैरियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता, बेचैनी तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. **पुस्तकालय–** महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 03 पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विभागीय स्तर पर पुस्तक की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी।

अ. पुस्तकें सामान्यतः एक माह के लिये निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह बीत जाने पर पुस्तकें बदल सकते हैं।

ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र ;नो ड्यूजद्ध के साथ जमा करनी आवश्यक है बिना पुस्तकें जमा किये नो ड्यूज ;अदेय प्रमाण पत्रद्ध नहीं दिया जायेगा।

स. पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जायेंगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जायेगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारिणी समय–समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

द. शोधार्थी शोध निर्देशक की संस्तुति पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

4. **बुक–बैंक–** स्नातक स्तर पर बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है। बुक बैंक में लगभग दो हजार पुस्तके उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को छात्र पुस्तकों के मूल्य के 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर निर्गत करा सकते हैं। बुक बैंक से निर्गत करने में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।

5. **वाचनालय–** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं के लिये वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

6. **प्रसार व्याख्यान–** इन व्याख्यानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान की अभिवृ(करना एवं ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं उत्सुकता जागृत करना है। विभिन्न सामाजिक एवं लोकप्रिय विषयों में विद्वान एवं उत्सुक वक्ता प्रसार व्याख्यानों में सारगर्भित भाषणों का ज्ञान वर्धन करते हैं।

7. **एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)–** छात्र/छात्राऐं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में छात्र/छात्राओं हेतु एन.सी.सी. में 165 सीटें हैं। इसके संयोजक ले0 डॉ0 एस.एस. धपोला पूर्णकालिक एन.सी.सी. अधिकारी के रुप में कार्यरत हैं।

8. **राष्ट्रीय सेवा योजना–** स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है। वर्तमान में इसकी 03 इकाईयां कार्यरत है। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 300 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है। स्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं। एन0एस0एस0 के बी0 व सी0 प्रमाण पत्रों के आधार पर बी0एड0 आदि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यथियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाता है। एन0एस0एस के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रायें ही बी0 प्रमाण–पत्र परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होते हैं।

9. **रोबर्स एवं रेजर्स–** महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर रेन्जर एवं रोबर्स ग्रुप की इकाई है। इसमें संस्थागत छात्र/छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होता है। राष्ट्रीय पर्व एवं भारत स्काउट/गाइड द्वारा निर्धारित तिथियों पर इनके द्वारा विभिन्न क्रिया–कलाप सम्पादित किये जाते हैं। समय–समय पर कैम्पों में प्रतिभाग करते हैं। रेन्जर/रोबर्स का प्राकृतिक आपदा में विशेष सहभागिता होती है। देश एवं प्रदेश स्तरीय कैम्प में भाग लेना विशेष महत्वपूर्ण होता है।

   नोट–उक्त तीन योजनाओं में से छात्र/छात्रा केवल एक योजना में भाग ले सकता/सकती है।

10. **क्रीड़ा एवं खेलकूद–** महाविद्यालय का निजी क्रीडा स्थल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के लिये उपलब्ध है। इन्डोर गेम्स के अन्तर्गत बैडमिन्टन आदि की व्यवस्था है।

अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा खेलों के सुचारु रुप से होते रहने के लिए समय–समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा वर्ष में एक बार क्रीड़ा समारोह सम्पन्न किया जाता है।

11. **छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान–** **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक वर्ग** के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो, गतवर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका यदि गैप है तो शपथ पत्रद्ध आदि के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को जमा करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। **सामान्य वर्ग के निर्धन व मेधावी छात्रों को 'निर्धन छात्र सहायता कोष' से आर्थिक सहायता दी जाती है।**

12. **छात्र संघ–** लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, जिससे छात्रों में सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभवपरक सबक प्राप्त होते हैं। छात्र हितों का प्रतिनिधित्व करता छात्रसंघ उनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निवारण करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सन्दर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सामग्री यथा पोस्टर, दिवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाये जायेंगे। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी निर्देशोंका उल्लंघन करता है तो उसके विरू(उचित कार्यवाही की जायेगी।

13. **सांस्कृतिक परिषद–** छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्रायें होते हैं। परिषद के तत्वावधान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

14. **विभागीय परिषदें :** स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।

15. **महाविद्यालय पत्रिका–** 'उत्तरायण' नामक महाविद्यालय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन महाविद्यालय परिवार की नवोदित संवेदनशील प्रतिभाओं को लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु अवसर प्रदान करता है।

16. **अभिभावक शिक्षक संघ–** छात्रों एवं संस्था के उन्नयन में अभिभावकों और शिक्षकों की समान जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुये, अभिभावक शिक्षक संघ पूरे वर्ष अपने पाल्यों की प्रगति के विषय में शिक्षकों के साथ अभिभावकों के संवाद के मंच के रुप में कार्य करता है। प्रत्येक नये सत्र के आरम्भ में अभिभावकों को आमन्त्रित कर उनको महाविद्यालय की नवीनतम प्रगतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है तथा उनके नवीन सुझावों को समुचित महत्व देते हुये यथासम्भव समायोजित किया जाता है।

17. **पुरातन छात्र परिषद–** महाविद्यालय के अनेक छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों, यथा शिक्षा, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, प्रशासन, समाज सेवा, सैन्य सेवाओं व राजनीति के क्षेत्र में अहम स्थान बनाया है और ख्याति अर्जित की है। वर्तमान सत्र से पुरातन छात्रों की बैठक भी आयोजित की जायेगी, उनको विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों में आमन्त्रित किया जाता है। महाविद्यालय अपने समस्त पुरातन छात्रों का उनके बहुआयामी सहयोग के लिये आभारी है।

18. **शास्ता मण्डल–** महाविद्यालय का शास्ता मण्डल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुये महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं। अनुशासन मण्डल अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करता है। संस्थागत छात्रों को फोटो पहचान पत्र जारी करता है। साथ ही छात्रों की समस्याओं का निवारण करते हुये जांच उपरान्त प्राचार्य को दण्डनीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भी सुझाव देता है।

19. **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–** इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ सम्पर्क कर सकती हैं।

20. **एण्टी–रैगिंग समिति–** यह समिति सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा नवागन्तुक छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो तथा उनका आचरण नवीन छात्रों के साथ एक मार्गदर्शक के रुप में रहे। इस हेतु अभिभावकों एवं छात्रों की ओर से शपथ पत्र की व्यवस्था की गयी है।

21. **कम्प्यूटर प्रयोगशाला–** महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु पूर्ण सुविधा एअर कंडीशनर व इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध है।

22. **आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)–** राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद बैंगलूरु के परिदर्शन के आलोक में, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन, परिष्करण हेतु महाविद्यालय में उक्त प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है।

23. **जिला विज्ञान मंच (यू–कोस्ट)–** उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ;यू–कोस्ट उत्तराखण्ड शासन द्वारा नवम्बर 2007 में बागेश्वर जिले के कुमाँऊ केसरी पं0 बद्रीदत्त पाण्डे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने व इसके प्रति छात्र/छात्राओं को जागरुक करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ जिला विज्ञान मंच यू–कोस्ट की स्थापना की गयी। इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें, कार्यशालायें एवं संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

24. **छात्रावास–** महाविद्यालय में दूर – दराज के छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु विभिन्न छात्रावास संचलित हैं। जिनमें सुमित्रानंदन पंत पुरुष छात्रावास एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय पुरुष छात्रावास है। छात्राओं हेतु बाबू जगजीवन राम महिला छात्रावास संचालित होने की अवस्था में है।

25. **अनुसूचित जाति योजना कोचिंग विभाग**– महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के पूर्व प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र ध्छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना निःशुल्क कोचिंग इकाई संचालित है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केन्द्र

कु0 के0 पं0 ब0 पा0 रा.स्ना.महाविद्यालय में उ.मु. विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना अक्टूबर 2005 में उत्तराखण्ड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गयी। इस महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में वर्तमान में करीब 2000 विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिये परामर्श सत्र नियमित

रुप से महाविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय में संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1	Master Degree Programme	M.Sc (All Subject), M.A., M.B.A., MSW, MJMC, M. Com., Tourism, Yoga,
2	Bachler Degree Programme	B.Sc. B.com, B.A, BCA, BBA, BTM
3	P.G. Deploma Programme	Computer, Disaster Management, JMC
4	Diploma Programme / Certificate Programme	Office Management, Yoga, DPHCN, DPPFVA, Mass Media

नोट– समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश जुलाई–नवम्बर में होंगे। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश अन्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम के साथ भी लिये जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिये विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र– 9410965615, 9457608564
9759252921

स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम

राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर को सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई। एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम के शिक्षण का समय 10.00 से 4.00 बजे तक रखा गया है। समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है।

सत्र 2015–16 से बी.एड. पाठ्यक्रम को दो वर्ष का कर दिया गया है। साथ ही प्रथम वर्ष हेतु छात्र/छात्राओं के लिये निश्चित सीटों की संख्या 50+5(In EWS category) निर्धारित की गयी है।

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत वाद–विवाद, गायन, लघुनाटिका, सेमिनार, निबन्ध, पोस्टर, क्विज प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

स्ववित्त पोषित बी.एड. संकाय(शिक्षक वर्ग)			**स्ववित्त पोषित बी.एड.** संकाय(**शिक्षणेत्तर** कर्मचारी)		
1	डॉ0 पंकज कुमार दुबे	विभागाध्याक्ष बी. एड.	1	श्री चंदन सिंह गढ़िया	लेखा सहायक

2	श्री अखिलेश चौहान	प्रवक्ता विज्ञान	2	श्री भूपाल सिंह मेहता	कार्यालय सहायक
3	डॉ प्रवीण कुमार	प्रवक्ता सा. अध्ययन	3	श्री रमेश कांडपाल	स्टोर कीपर
4	श्रीमती कविता मेहरा	प्रवक्ता सा. अध्ययन	4	श्री ईश्वर सिंह दानू	अनुसेवक
5	श्री प्रवीण कुमार	प्रवक्ता हिंदी	5	श्री प्रकाश सिंह	अनुसेवक
6	श्री धर्मेंद्र बोरा	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा			
7	श्री महिपाल सिंह बोहरा	पुस्तकालयाध्यक्ष			

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
2. परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभारी अथवा छात्र/छात्रा अधिष्ठाता से सम्पर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रायें सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पायेंगे।
4. महाविद्यालय संचालन हेतु समय–समय पर जारी सूचनाएँ सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। छात्र–छात्रायें प्रतिदिन सूचना पट पर लगायी गयी जानकारी पर ध्यान दें।
5. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुये निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
   - **5.1.** महाविद्यालय परिसर, चहारदिवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।
   - **5.2.** विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयास्त्रों को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमना अपराध होगा, जिसकी तुरन्त प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जायेगी।
   - **5.3.** विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना, महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है।
   - **5.4.** महाविद्यालय की सम्पत्ति विद्यार्थियों की अपनी सम्पत्ति है। फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।
   - **5.5.** महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संव(न के प्रति जागरुक रहेंगे।

5.6. महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आस–पास तथा महाविद्यालय परिसर में वाहन खड़ा करना दण्डनीय अपराध होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।

5.7. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन वर्जित है।

5.8. उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है, वे महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस में ही परिसर में प्रवेश करें, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (दिनांक 22 सितम्बर 2006) छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिये आचार संहिता/निर्देश

1. कोई भी प्रत्याशी प्रसन्न करने, अवप्रेरण करने और अन्य कोई ऐसी गति–विधि नही करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो, अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों, धर्मो अथवा भाषाई अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद होता है।
2. जब अन्य प्रत्याशियों की आलोचना होती है तो केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यो तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से दूर रहेंगे, जो लोक कार्य कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के अप्रमाणित आरोप अथवा मिथ्या वर्णन से प्रत्याशी दूर रहेंगे।
3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।
4. सभी प्रत्याशियों का भ्रष्टाचार का उपयोग और अपराधों से सम्बन्धित सभी गतिविधियां मतदाताओं को प्रसन्न करने अथवा अवप्रेरण करने, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को आतंकित करना, मतदान प्रचार के लिए छदम वेश बनाना अथवा मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर प्रचार करना और मतदान की अन्तिम अवधि 24 घण्टे के अन्दर प्रचार करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र से और मतदान केन्द्र तक यातायात से ले जाना तथा लाना प्रतिषि(होगा।
5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट ;पुस्तिकाद्ध अथवा कोई अन्य सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, प्रचार के लिये प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये ऐसे इश्तहार का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।
6. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अन्दर तथा बाहर जलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने अथवा अधिप्रचार की अनुमति नहीं होगी।
7. बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी को और उनके समर्थकों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिये विरुपित अथवा किसी भी प्रकार से ध्वंस नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रुप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरुपित/विध्वंस करने के लिये दायित्वाधीन होंगे।

8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जलूसों और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु यह कि इस प्रकार के जलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार से कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य–कलापों में व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह भी कि यह जलूस/जनसभा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं हो सकती।

9. प्रचार के उद्देश्य के लिये ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) वाहन और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

10. निर्वाचन के दिन छात्रसंघ पदाधिकारी और प्रत्याशी करेंगे–

    क. निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन कराने और निर्वाचन पूर्ण करने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज उत्पन्न किये अथवा व्यवधान पहुँचायें उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग।

    ख. मतदान के दिन किसी भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगें।

    ग. मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

11. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिचय पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

12. चुनाव आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं।यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

13. निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घण्टे के अन्दर सभी प्रत्याक्षी संयुक्त रुप से निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

14. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी, उल्लंघनकर्ता के विरु(अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

15. उपर्युक्त रुप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त माननीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान ;धारा 153 क और अध्याय 9 क निर्वाचन सम्बन्धी अपराधद्ध भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में सभी काक्षाओं में प्रवेश ऑनलाइन प)ति से होंगे।

2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों, अन्तिम विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थित

होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। मूल टी.सी. के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।

3. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयता क्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4. एक संकाय में प्रवेश न होने की दशा में वही प्रवेश आवेदन पत्र दूसरे संकाय के लिये प्रयोग में नहीं आयेगा। यदि किसी प्रवेशार्थी को संकाय विशेष में प्रवेश की उम्मीद नहीं और वह दूसरे संकाय में प्रवेश का इच्छुक हो तो निर्धारित तिथि से पूर्व ही उस संकाय में भी आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

5. प्रवेश की घोषित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारिणी चस्पा कर दी जायेगी तद्नुसार पठन–पाठन सम्पन्न होगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।

7. परिचय पत्र का दुरुपयोग रोकने के लिये इस सत्र में यह व्यवस्था की जा रही है कि परिचय पत्र खोने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी इस आशय का एक आवेदन पत्र शास्ता मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शास्ता मण्डल द्वारा उनकी विधिवत् जांच होगी और **रुपया 50/– (रुपया पचास मात्र) अतिरिक्त शुल्क देने के उपरान्त ही परिचय पत्र की दूसरी प्रति** निर्गत की जायेगी। किसी विद्यार्थी के पास जाली परिचय पत्र पकड़े जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

8. पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया तिथि बीत जाने के बाद किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। अतः छात्र/छात्रायें प्रवेश निश्चित तिथि तक अवश्य ले लें।

9. संकाय एवं विषय परिवर्तन हेतु महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

10. किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः प्रवेश देय नहीं होगा।

11. छात्र/छात्रायें कार्य स्वयं करें। किसी भी अन्य छात्र/छात्रा के माध्यम से कार्य न करवायें।

12. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म विद्यार्थी स्वयं भरकर जमा करना सुनिश्चित करें, किसी अन्य को देने से आपका शैक्षणिक वर्ष बरबाद हो सकता है।

13. प्रवेश हेतु स्वयं उपस्थित हों शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित की गई तिथि तक स्वयं अपना शुल्क अवश्य जमा करें। तत्पश्चात् शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

14. सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राऐं निर्धारित तिथि तक अपना अस्थाई प्रवेश प्राप्त कर लें। सुधार परीक्षा के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

15. स्नातक तृतीय सेम0 एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय से अंक तालिका प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर लेना अनिवार्य है।

16. प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

संचालित पाठ्यक्रम

संकाय	कक्षा	विषय	उपलब्ध स्थान	न्यूनतम योग्यता	प्रवेश प्रणाली	शुल्क धनराशि में
कला (Arts)	बी.ए.	बी.ए. पथम सेमस्टर मे हिन्दी भाषा या अंग्रेजी भाषा या संस्कृत भाषा तथा तीन वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में विषयो की उपलब्धता मैरिट (योग्यता) तथा विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमावली केअनुसार आवंटित	480	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 40 प्रतिशत	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	
विज्ञान (Science)	बी. एससी.	Mathematics, Physics, Chemistry/Geography	120	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 45 प्रतिशत	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	
		Botany, Zoology, Chemistry/Geography	120			
वाणिज्य (Commerce)	बी. कॉम.	सभी अनिवार्य विषय	80	इण्टरमीडिएट 10 + 2 न्यूनतम 40 प्रतिशत वाणिज्य तथा न्यूनतम 45 प्रतिशत इण्टर कला व विज्ञान से उत्तीर्ण	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	
शिक्षा (Education)	स्ववित्त पोषित बी. एड.	सभी अनिवार्य विषय	50	स्नातक	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	

स्नातक उपाधि (सैमेस्टर प्रणाली) Graduate Degree Semester System

नोट–

1. प्रवेश सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के शिक्षा सत्र 2021–22 के प्रवेश नियमों के अनुरूप किये जायेगें।
2. बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थी कोई चार वैकल्पिक विषय भरेंगे, जिनमें से मेरिट के आधार पर उन्हें कोई तीन विषय आवंटित किये जायेगें।
3. स्नातक स्तर पर IV सेमेस्टर में पर्यावरण पाठ्यक्रम लेना एवं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। किन्तु यह अंक पूर्णांक में नहीं जोड़े जायेगें।
4. शुल्क ढाँचे में उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
5. सभी कक्षाओं में 10 % सीट EWS की अतरिक्त जोड़ी जाएंगी।

स्नातकोत्तर उपाधि (सैमेस्टर प्रणाली) (Post Graduate Degree Semester System)

संकाय	कक्षा	विषय	प्रवेश प्रणाली	शुल्क धनराशि में
कला (Arts)	**एम० ए०**	हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, गणित, समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	
विज्ञान (Science)	**एम० एससी०**	भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान गणित	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	
वाणिज्य (Commerce)	**एम० कॉम०**	सभी अनिवार्य विषय	ऑन लाइन पद्धति से प्रवेश	

पीएच० डी० शोध उपाधि (Ph.D. Research Degree)

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शोध उपाधि हेतु प्रवेश किये जाते हैं।

व्यावसायिक कार्यक्रम (Vocational Programmes)

कार्यक्रम का नाम	अधिकतम स्थान	न्यूनतम योग्यता	प्रवेश प्रक्रिया	अवधि	शुल्क धनराशि में
सचिवीय पद्धति एवं कार्यालय प्रबंधन में डिप्लोमा	**40**	10 + 2 इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण	मैरिट आधार पर	1 वर्ष	4700
पी० जी० डिप्लोमा (योग एण्ड अल्टेरनेटिव थैरेपी)	**60**	स्नातक			8040

(i) कला संकाय

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विविध पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया जा सकता है।

(क) स्नातक स्तर

आधार पाठ्यक्रम (Foundation Course):

स्नातक स्तर पर कला संकाय प्रथम वर्ष में प्रत्येक छात्र–छात्रा के लिए हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा अथवा संस्कृत भाषा में आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य है। (विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य नहीं है) मूल पाठ्यक्रम मैं तीन प्रायोगिक विषय एक साथ चयनित नहीं किये जा सकते है।

स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न विषयों के अध्ययन - अध्यापयन की व्यवस्था है:

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. संस्कृत साहित्य
4. अर्थशास्त्र
5. समाजशास्त्र
6. राजनीति विज्ञान

7. इतिहास 8. भूगोल 9. गणित

सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रवेश **नियमों** से **किए जाएंगे**।

महाविद्यालय में कला संकाय में संचालित विषयों का ग्रुपों में विभाजनः

Group A	B	C	D	E	F
English Litt.	Economics	Geography	Sociology	Hindi Litt.	Political science
Sanskrit Litt.	Home Science	History		Mathematics	

❖ **उपरोक्त गुपों में से किन्हीं तीन गुपों में से एक–एक विषय का ही चयन करें। उपरोक्त ग्रुपों के अतिरिक्त प्रवेशार्थी के लिए भाषा के रूप (हिन्दी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा) में से कोई एक भाषा का चयन अनिवार्य है।**

महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में संचालित विषयों का ग्रुपों में विभाजनः

	Group A	B	C
BSc I Sem Math Group	Mathematics	Physics	Chemistry
			Geography
BSc I Sem Bio Group	Botany	Zoology	Chemistry
			Geography

(ii) वाणिज्य संकाय

वाणिज्य विभाग में उपलब्ध पाठ्य विषय :

स्नातक स्तर – बी0 कॉम

1. इस पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होने उत्तराखण्ड बोर्ड /यू०पी० बोर्ड की इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास कर ली हो। समस्त पाठ्यक्रम छः (6) सेमेस्टरों में विभाजित है।
2. किसी अन्य विश्वविद्यालय से बी०कॉम० द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्रमशः बी०कॉम द्वितीय व बी०कॉम० तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु स्थान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है, यदि संयोजक पाठ्य–समिति/संकायाध्यक्ष उचित जाँच के पश्चात सहमत हों कि सम्बन्धित परीक्षाओं की पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समस्तरीय है।

स्नातकोत्तर स्तर एम०कॉम०– समस्त अनिवार्य विषय

(iii) विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम

निम्नलिखित में से किसी एक विषय में एम०एस०सी० कक्षा में प्रवेश लिया जा सकता है यदि वह प्रवेशार्थी द्वारा स्नातक स्तर पर पढ़ा गया होः

(i) Zoology	**(ii) Botany**	**(iii) Chemistry**
(iv) Mathemetics	**(v) Physics**	**(vi) Geography**

पर्यावरण विज्ञान

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, यू0जी0सी0 द्वारा विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को स्नातक IV SEM के सभी सकायों में अनिवार्य विषय के रुप में संचालित किया जा रहा है। विद्यार्थी को स्नातक डिग्री इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने पर ही दी जायेगी तथा प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड दिये जाएंगे । यह पाठ्यक्रम पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) की कक्षाओं में

प्रवेश के नियम

(सत्र 2020–2021 से प्रभावी)

अध्याय 1– साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा।

1.3 महाविद्यालयों/परिसरों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन में अंकित सूचनाओं की सत्यता का मूल अकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय स्तर पर Verification कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो–दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–(क) तथा बिन्दु–(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

(क)

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा** के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूंगा करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

(ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ..... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1.6 (क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक I=(X+2Y+2Z) के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के "सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज" विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्गत निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।

(ग) प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी0ए0 या बी0काम0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी0एस–सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1.7 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी ।

1.8 (क) जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठयक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.9 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1.10 (अ) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ब) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप सजा के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रस्तर 1.8 (ख) के अर्न्तगत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा।

1.11 किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा न किया हो।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1.12 वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode) से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत भूतपूर्व परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही दी जा सकती है।

1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नान–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जों महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)

1.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

(i) Extension in date of admission upto 30 days.

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in take capacity upto 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1.15 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1, जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन	20 अंक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई 20 अंक
बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/
सगाभाई/बहन

(ङ) विश्वविद्यालय की फर्स्ट एलेवन टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी 20 अंक

(च) शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 25 अंक
खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो।

(छ) राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अन्तर विश्वविद्यालय टीम 25अंक
से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद–विवाद प्रतियोगिता/ सांस्कृतिक कार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो।

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर– 50 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.16 यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक अथवा स्नाकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रपत्र में विषय संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय, महाविद्यालय के लिए परिवर्तन सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा अभ्यर्थी के अर्ह होने की दशा में परिसर, महाविद्यालय के स्तर पर विषय परिवर्तन किसी भी स्थिति में परिसर/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश पाये अभ्यर्थियों की सत्यापित सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने के उपरान्त स्वीकार्य नहीं होगा। परिसर/महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश सूची के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह का समय अनुमन्य होगा।

1.17 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा

(क) उत्तीर्ण करने के 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा विद्यार्थी को स्नातक में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (08 सेमेस्टर) कुल 09 वर्ष का अध्ययनकाल (08 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1.18 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नही दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाणपत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

1.19 एक सत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर (सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007(cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारण वश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.20 प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत

(क) उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 5 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.21 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1.23 The candidate for the Under-Graduation programs will take a compulsory paper/ subject and choose the optional- subject combination as per the group-scheme provided below-

A- For B.Sc.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of **"Environmental Science"** in the 4th Semester.

ii- A student has to opt **"total three optional subject** out of the four (04) groups given below" selecting only one optional subject from one group.

Mathematics Group			
A	B	C	D
Mathematics	Physics	Chemistry Computer Science Economics Geography Information Technology Military Science	Statistics Geology

Biology Group			
A	B	C	D
Botany	Zoology	Chemistry Economics Geography Information Technology Military Science	Forestry Geology

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

B- For B.A.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of **"Environmental Science"** in the 4th Semester.

ii- The candidate has to take one compulsory subject of language (to be chose from Hindi/ or Sanskrit/ or English) in I & II Semester.

iii- The candidate has to opt **total three optional subjects** out of the five Group given below, selecting only one optional subject from one group.

Arts Group					
A	B	C	D	E	F
English Literature Kumaouni Bhasa Sanskrit Literature	Anthropology Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Information Technology Military Science Music Statistics Yoga	Education Sociology	Hindi Literature Mathematics	Political Science

प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिये जाने हेतु प्रत्येक ग्रुप से केवल उन्हीं विषयों का चयन कर सकेंगे, जो विषय उस परिसर/महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

C- For B.Com.

i- The candidate has to appear in the exam of the compulsory paper of **"Environmental Science"** in the 4th Semester.

ii- The candidate has to study 04 papers in each semester.

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा
कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
(बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस–सी0) की कक्षाओं में
प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारिण के नियम
(शिक्षा सत्र 2020–2021)

अध्याय–2– योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता कम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी–

(1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता हैं।

(ग) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुर्त्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा– स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर कक्षा में अनुर्त्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला सकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को संबन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवशोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्रवेशित छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसक वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी अपने विवके से प्रवेश दे सकते है।

2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा

2.5 स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहां लागू हो)

Calculation of Index for P.G. I Semester Admission (Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to P.G. I semester class-

I= X+ 2Y+2Z (Merit index)
X= Marks ontained in practicals of all subject at UG Level
Y= Marks ontained in theory of all subjects taken at UG Level (This would include all the subject taken at UG Level)
Z= Total marks obtained in theory at UG Level in the subject in which admission is required at PG Semester class (Admission would be given to PG Semester- I, only in one of the subject taken at the UG level)

मान्यत्ता प्राप्त एन0 आई0 ओ0 एस0 (National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पाँच विषयों का चयन करना होगा।

2.6 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्तया प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर (कला संकाय/विषय में) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा तथा स्नातकोत्तर (कला संकाय) के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगें जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .....
.....(विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता)
.....
..... (पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) .....
.....(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने .....
.....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। मैंने विधि/उच्चतम न्यायालय केन्द्र/राज्य सरकारों के रैगिंग से सम्बन्धित निर्देशों को पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं।**

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि –
   क. मैं किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।
   ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नही लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्ग आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक – हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर ..... नाम .....

पूर्ण पता .....
..... मोबाईल नंबर .....

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

माता–पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .....
.....(पिता/माता/अभिभावक का नाम एवं पूर्ण पता) मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य.....
..... (विद्यार्थी का नाम एवं पूर्ण पता) .....
(प्रवेश पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ने .....
.....(परिसर/महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश ले लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से संबंधित 2010 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 03 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि **रैगिंग के क्या मायने हैं**।

3. मैंने धारा–7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है, तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि –
क. मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य किसी तरह की रैगिंग जोकि धारा–3 विनियम में उल्लिखित है, उसमें भाग नहीं लेंगे।
ख. मैं अपने पुत्र/पुत्री/पाल्य को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने लूँगा/लूँगी जो किसी रैगिंग की धारा–3 विनियम के अन्तर्गत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया/पायी गयी, तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य के विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और यदि मुझे ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान –

दिनांक – हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर ..... नाम .....

पूर्ण पता .....
..... मोबाईल नंबर .....

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा–

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु०/श्रीमती .....
जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा** के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय/अधिनियम/परिनियम अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी। अन्यथा मैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य हूंगा/हूंगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित
(उसी महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

सत्यापन के दौरान सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज –

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक माता/पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।

2. विधिवत हस्ताक्षरित अभिवचन, छात्र/अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।

3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

5. हाई–स्कूल प्रमाण पत्र।

6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ।

7. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।

8. अधिमान अंकों हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ– एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, खेलकूद इत्यादि। विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.ssju.ac.in में निर्देशित हैं।

नोट – अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ अवश्य लायें साथ ही यह भी आग्रह है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ssju.ac.in में दिये गये प्रवेश नियमों को भली–भाँति पढ़ लें।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

** प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

संशोधन पत्र

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा द्वारा जारी प्रवेश नियमावली– 2020–21 के पृष्ठ संख्या– 04 के बिन्दु संख्या– 1.13 के अंतर्गत टंकित होने से छूट गये बिन्दु 4 को सम्मिलित कर लिया जाये।

1.13 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) ×

(नान–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)

कुलसचिव कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा
अल्मोडा उत्तराखण्ड

संख्या– 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021

आवश्यक/महत्वपूर्ण

प्रेषक

दीपन्द्र कुमार चौधरी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग– 4

देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2021

विषय– 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारियों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–869/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, दिनांक 12.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु महिला सशक्तीकण एवं बाल विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के प्रथम चरण में जारी किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/1911/2021–22 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तवत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावित बच्चों की परिस्थितियों के आधार पर एवं उनके चिह्नीकरण के उपरान्त उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. सम्बन्धित प्रभावित पाल्यों को उनके घर के निकट के ही राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में ही प्रवेश की निश्चित व्यवस्था की जायेगी।
2. शासकीय व अशासकीय स्नातक/परास्नातक महाविद्यालयों में वात्सल्य योजना के अर्न्तगत मृतकों के पाल्यों को स्नातक/परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सभी सत्रों हेतु महाविद्यालयी प्रवेश में सभी छात्र निधियों से शुल्क मुक्त किया जाएगा तथा मात्र कोषागार प्रवेश शुल्क (जो अधिकतम 03 से 05 रुपये हैं) ही लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय छात्र निधि (निर्धन छात्र सहायता मद/विकास मद अथवा अन्य छात्र निधियों) से ही लोन लेकर अथवा अन्य क्षेत्रों से सहायता लेकर प्रत्येक पाल्य को प्रति सत्र (स्नातक/परास्नातक) में 01 सेट College Uniform दी जायेगी।
4. राजकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रभावित पाल्यों को प्रवेश में एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं खेल प्रमाण पत्रों की भॉति वरीयता (अधिमान अंक की व्यवस्था) प्रवेश दिया जायेगा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पृथक से ऐसे प्रभावित पाल्यों के प्रवेश हेतु सीट सुरक्षित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

5. महाविद्यालय में यह व्यवस्था की जायेगी कि प्रभावित पाल्य हेतु प्रत्येक विषय में महाविद्यालय पुस्तकालय से 02 पुस्तकें सुनिश्चित रुप से प्रत्येक सत्र हेतु निर्गत की जायेगी तथा सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व ही पुस्तकें महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
6. प्रभावित पाल्यों हेतु महाविद्यालय के छात्रावास में अध्ययन काल (स्नातक/परास्नातक) तक निशुल्क व्यवस्था (रहने व खाने की) की जायेगी।
7. प्रत्येक प्रभावित पाल्य को 01 TAB (अधिकतम रु010000/–) का कम्प्यूटर क्रय व कम्प्यूटर उपकरण मद में बजट प्रावधान किया जायेगा। (पूरे शिक्षण काल में मात्र 01 TAB दिया जा सकता है)।
8. कक्षाओं में पठन–पाठन हेतु प्रत्येक कार्य दिवसों में घर से महाविद्यालय तक सरकारी परिवहन में किराए की पूर्ण छूट दी जायेगी, जिस हेतु महाविद्यालय द्वारा परिवहन विभाग से सम्पर्क कर पास की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग को इस हेतु निर्देशित किया जायेगा।
9. ऐसे पाल्यों हेतु विशेष सहायता अनुदान राशि प्रतिवर्ष आवेदन के आधार पर प्रदान की जायेगी। इस हेतु विभागीय बजट प्रावधान किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश संख्या–143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उक्तवत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपन्द्र कुमार चौधरी)
प्रभारी सचिव।

संख्या– (1)/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, महिला सशक्तीकण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 2 एवं 3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

पृ0 सं0: 1941 डिग्री प्लान/ 2021–2022 तददिनांकित दि0 13/8/2021
प्रतिलिपि:

1 प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

(डा0 पी0 के0 पाठक)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

प्राध्यापक वर्ग (टीचिंग स्टाफ)

हिंदी विभाग

1. डॉ० ललित मोहन, प्रभारी
2. डॉ० नेहा भाकुनी
3. डॉ० राजेश प्रसाद
4. श्रीमती रेखा भट्ट

अंग्रेजी विभाग

1. सुश्री किरन मिश्रा, प्रभारी
2. श्रीमती जयति दीक्षित
3. श्री बिरेंद्र सिंह दानू, नि. अ. प्रा.

संस्कृत विभाग

1. श्री महेश चन्द्र, प्रभारी
2. डॉ उमेश चंद्र जोशी

इतिहास विभाग

1. सुश्री शिखा पाण्डे, प्रभारी
2. डॉ गरिमा जोशी, नि. अ. प्रा.
3. डॉ चंद्रकांता आर्या, नि. अ. प्रा.

गणित विभाग

1. डॉ एस० एस० धपोला, प्रभारी
2. डॉ हेमलता पाण्डे

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ अलका कोली, प्रभारी
2. श्री ओम प्रकाश
3. सुश्री रश्मि, नि. अ. प्रा.

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ अनीता बिष्ट

(सम्बद्ध रा० महाविद्यालय दोषापानी)

2. श्री नरेश सिंह ग्वाल, प्रभारी
3. डॉ अरुणिमा पाण्डे, गैस्ट फैकल्टी

राजनीतिक शास्त्र

1. डॉ संजय कुमार टम्टा, प्रभारी
2. श्रीमती आशा गोस्वामी

भूगोल विभाग

1. डॉ. भगवती नेगी, प्रभारी
2. डॉ जगवती
3. डॉ. मनोज कुमार टम्टा

वाणिज्य विभाग

1. डॉ. फखरूद्दीन राही, प्रभारी
2. श्री चमन कुमार
3. सुश्री आयुषी चौधरी, नि. अ. प्रा.

भौतिक विज्ञान विभाग

1. श्री लक्ष्मण देव , प्रभारी
2. श्रीमती गीता बृथ्वाल

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ. रंजना शाह , प्रभारी
2. डॉ. महेश चंद्र विश्वकर्मा
3. श्री सुधीर जोशी, गैस्ट फैकल्टी

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ. हेमलता , प्रभारी
2. डॉ. संजय कुमार

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ. दीपा कुमारी, प्रभारी
2. डॉ. अनुपमा पाण्डे

गृह विज्ञान विभाग

1. डॉ. कविता जीना, नि. अ. प्रा.

शिक्षणेत्तर श्रेणी कर्मचारी

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1. श्रीमती पुष्पा जोशी मु. प्र. अधिकारी (संबद्ध निदेशालय)
2. श्री विजय जोशी, प्रशासनिक अधिकारी
3. श्रीमती रश्मि पन्त, क. सहायक

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री नितिन भूगोल
2. श्री कमल गड़िया भौतिक विज्ञान (संविदा)
3. श्री देवेंद्र सिंह वनस्पति विज्ञान (संविदा)
4. श्री. विपिन चन्द्र जंतु विज्ञान (संविदा)
5. श्री भूपेंद्र दानू रसायन विज्ञान (संविदा)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री चमन लाल (दफ्तरी)
2. श्री चंद्र दत्त पाण्डे
3. श्री गोपाल गिरी
4. श्री चंचल सिंह
5. श्री दिनेश चन्द्र ओली
6. श्री चंद्र सिंह
7. श्री जीवन चन्द्र
8. श्री भुवन चन्द्र (संविदा)
9. श्री गंगा सिंह भाकुनी (संविदा)
10. श्री शंकर लाल (संविदा)
11. श्री महिपाल सिंह (संविदा)
12. श्री दरपान सिंह (संविदा)
13. श्री. रामेश्वर भारती (स्वच्छक /पर्यावरण मित्र)

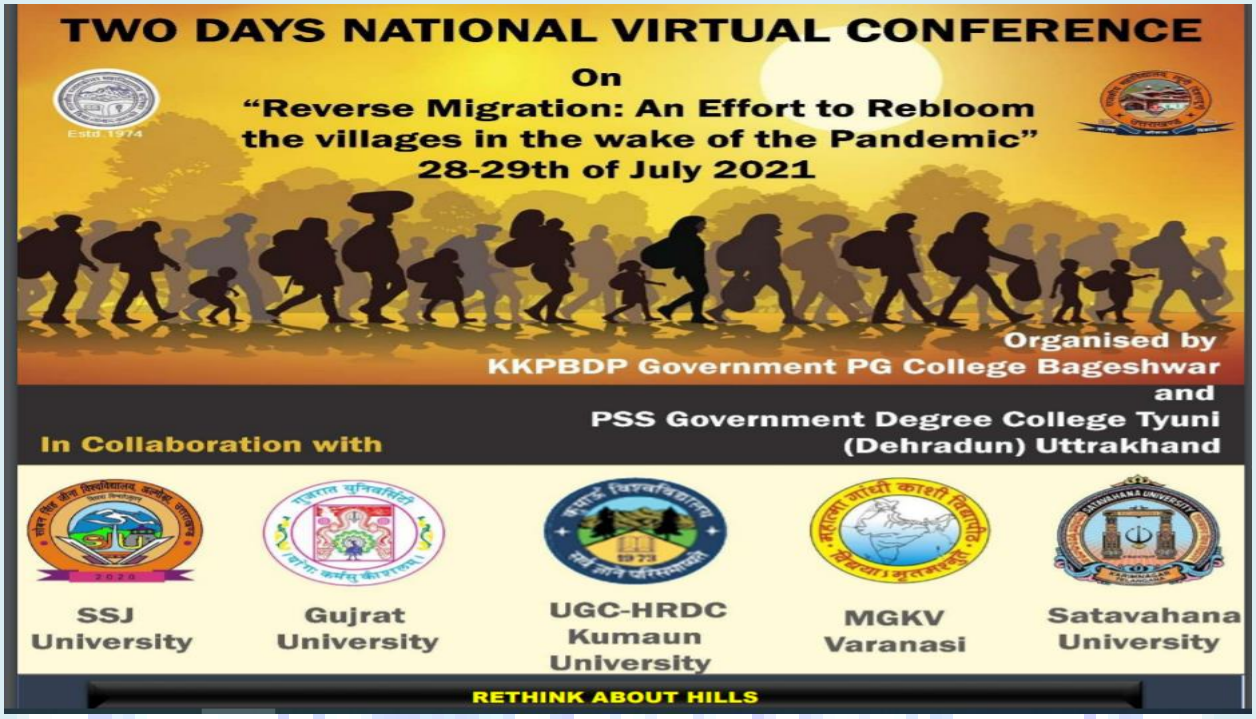
TWO DAYS NATIONAL VIRTUAL CONFERENCE
On
"Reverse Migration: An Effort to Rebloom the villages in the wake of the Pandemic"
28-29th of July 2021
Organised by
KKPBDP Government PG College Bageshwar
and
PSS Government Degree College Tyuni
(Dehradun) Uttrakhand
In Collaboration with
SSJ University
Gujrat University
UGC-HRDC Kumaun University
MGKV Varanasi
Satavahana University
RETHINK ABOUT HILLS